कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1574 / 12–1(1)   दिनांक, देहरादून 14, दिसम्बर , 2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,चकराता ।

विषयः जनपद देहरादून के अन्तर्गत पजिटीलानी–सैंज मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.9975 है0वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भः **प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 11483 / 2015**

महोदय,

आपके स्तर से प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियां पाई गई हैः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हिन्दी में भरा जाने वाला भाग–2 प्रपत्र के बिन्दु–7(3) में वन भूमि में बाधित वृक्षों की संख्या 19 है, जिसमें बांज वृक्ष शून्य सूचित हैं, जबकि प्रस्ताव में बाधित वृक्षों की सूची विवरण में बांज के 04 वृक्ष बाधित दर्शाये गये हैं। इस विभेद के संबंध स्थिति स्पष्ट की जाय।
2. जिलाधिकारी द्वारा दिया गया वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र में दिनांक अंकित नहीं है।
3. उपरोक्त मोटर मार्ग का शासनादेश सं0–541 / III(2) / 05–13(प्रा0आ0) / 05,दिनांक 30.6.2005 के द्वारा उपरोक्त मार्ग 8 किमी लम्बाई में स्वीकृत है, किन्तु प्रस्ताव 4 कि0मी0 लम्बाई हेतु गठित किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय।
4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अर्जित की जा रही सिविल सोयम भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव में राजस्व उप निरीक्षक का प्रमाण पत्र लगाया गया है।

आप निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार ही प्रस्ताव परिपूर्ण दस्तावेज प्रमाण पत्रों के सहित सुस्पष्ट रूप से तैयार करवायें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। साथ ही अधूरा व अस्पष्ठ प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित न करें । इस प्रकिया से अनावश्यक कार्यालय श्रम व समय नष्ट होता है।

उपरेक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में अतिरिक्त अभिलेख की हार्ड प्रति इस कार्यालय को साथ–साथ उपलब्ध करायी जाय। विषयाकिंत प्रस्ताव वर्तमान में इस कार्यालय को ऑन लाईन प्राप्त नहीं है।

भवदीय,

(आर0 के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 1574 (1) /12-1(1) उक्त दिनांकित ।

प्रतिलिपि –अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0 के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।